	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्र. सं. 01 /25 अनवान चौथमल/कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/01/2026	पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 25/2/26 को पेश हो। शउर जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
25.02.2026	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकार अधिवक्ता उपस्थित। निगरानीकार अधिवक्ता द्वारा साबिक आदेश दिनांक 06.08.2025 की पालना होना नहीं पाया गया। न्यायहित में निगरानीकार अधिवक्ता को अंतिम रूप में अवसर प्रदान किया जाकर सख्त हिदायत दी जाती है कि आईन्दा पेशी से पूर्व मृतक निगरानीकार (चौथमल) के कायम मुकाम पेश करें। पत्रावली दिनांक 07.04.2026 को पेश करें। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
07/04/2026	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकार अधिवक्ता उपस्थित। निगरानीकार अधिवक्ता ने आईन्दा मृतक निगरानीकार (चौथमल) के कायम मुकाम पेश करने का अति. अवसर चाहा है, जो अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने कायम मुकाम निगरानीकार दिनांक 19/05/2026 को पेश हो। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
19/05/2026	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकार अधिवक्ता उपस्थित। निगरानीकार अधिवक्ता द्वारा साबिक आदेश दिनांक 06.8.25 की पालना हेतु अतिरिक्त अवसर चाहा गया है। निगरानीकार को पूर्व में मृतक निगरानीकार के कायम मुकाम पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी निगरानीकार अधिवक्ता द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है। अब और अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण की वर्तमान स्थिति अनुसार निगरानीकार जी जीवित नहीं है एवं उनके वैध वारिसान → Cont.	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज चौथमल न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा प्र. सं. 01/25 अनवान कन्हैयालाल	
Cont.	→ आज तक प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं हुए हैं, जिससे प्रकरण में आगामी कार्यवाही संभव नहीं है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर रहे। Sd/- जिला कलक्टर भीलवाड़ा	